247

45

1

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2018 पुनरीक्षण(निगरानी)

I/निगरानी/सागर/भू.रा/2018/2509

श्री आनन्द कुमार दुबे द्वारा आज दि. 20-4-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 3-5-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 20-4-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

फेरनसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह ठाकुर, आयु– 68 वर्ष, निवासी ग्राम खिरिया कर्रापुर, तहसील व जिला सागर मध्यप्रदेश.

.... **पुनरीक्षणकर्ता/प्रतिअपीलार्थी क.2**

बनाम

1. रविन्द्रसिंह, पुत्र श्री गोविंदसिंह, नि. ग्राम खिरिया, तहसील व जिला सागर म.प्र.

.... **प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अपीलार्थी**

2. म.प्र. शासन
3. गोपाल पुत्र राजाराम ठाकुर, नि. ग्राम बारछा, तहसील व जिला सागर म.प्र.
4. हरीराम पुत्र श्री भगवानसिंह ठाकुर, निवासी ग्राम खिरिया कर्रापुर, तहसील व जिला सागर म.प्र.
5. रामकुमार पुत्र दयाराम निवासी ग्राम खिरिया कर्रापुर, तहसील व जिला सागर म.प्र.

.......**प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/प्रतिअपीलार्थी**

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर अग्रिम प्रति ... सं. ... क्र. 1 ... से 11 दिनांक 20/4/18 ... व नाम ...

पुनरीक्षण/निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता, विरुद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग सागर मध्य प्रदेश द्वारा प्रकरण कमांक...1289–अ–6/2016–17(रविन्द्रसिंह वि. म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 04.04.18 जिसके द्वारा प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क.1/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपर कलेक्टर जिला सागर द्वारा प्र.क. 76अ/6अ/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 24.07.17 निरस्त किया गया तथा अपीलार्थी के हित में राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया गया है ।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2018/2509

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण अभिलेख दुरुस्ती का है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा नये पुराने अभिलेख का स्थल पर मिलान कर तुलनात्मक पत्रक तैयार किया गया, परंतु अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में तहसीलदार के प्रतिवेदन का अवलोकन नहीं किया और ना ही तुलनात्मक पत्रक, आर0आई0 पटवारी के प्रतिवेदन का उल्लेख किया। उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपर कलेक्टर सागर का आदेश निरस्त करते हुए अभिलेख दुरुस्त करने के निर्देश तहसीलदार को दिए गए है। उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही उचित एवं न्यायिक है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का प्रथम दृष्टया कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	